



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**जिला सम्बर्ग अन्तर्गत प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं
उर्दू सहायक शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक सूचना**

विज्ञापित संख्या - 65/2011

विज्ञापित संख्या- 27/2011 एवम् अनुवर्ती विज्ञापित के क्रम में एतद् द्वारा सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक के पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले वैसे विकलांग अभ्यर्थी, जो नेत्रहीन या शारीरिक रूप से विकलांग या Spastic हैं, को सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्न शर्तों के अधीन श्रुति लेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा:-

- 1) अभ्यर्थी को सिविल सर्जन/जिला शल्य चिकित्सा पदाधिकारी से विकलांगता का प्रमाण पत्र एवम् अभ्यावेदन संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
- 2) संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमाणिक प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ग नवम में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी को श्रुति लेखन हेतु उनके योग्यता की जाँच कर नियुक्त करेंगे और उसका अनुमोदन परिषद् कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।

शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,

ह./-

सचिव,

JAC/PTR/9538/11/SECY/329/2011

Dt. - 28.06.2011

D.O.P. - 29.06.2011

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।